चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 15.02.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 15.02.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में महाकुंम्भ 2025 प्रयागराज को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग तथा बार्डर पर बैरियर लगाकर संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेंकिग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अनुभव वर्मा व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त (1). शहरुम पुत्र मुनव्वर निवासी अघरौना थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट (2).गया प्रसाद पुत्र रामकेश उड़की माफी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट (3). राजकरन पुत्र हीरालाल निवासी अघरौना थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 4.बबली पटेल पुत्र राधेश्याम उड़की माफी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 5.कैलाश पुत्र केदार निवासी उड़की माफी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 6.प्रमोद पुत्र नवल निवासी उड़की माफी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 7.नन्द कुमार पुत्र केदार निवासी उड़की माफी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 8.राजेश कुमार पुत्र राधेश्याम निवसी उड़की माफी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 9.देवप्रकाश पुत्र बच्चू निवासी उड़की माफी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों से हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 2400/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामा तलाशी से 1650/- रुपये बरामद हुआ। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-

1.मालफड़ 2400/- रुपये
2.जामा तलाशी से 1650/- रुपये
3. 52 अदद ताश के पत्ते

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री अनुभव वर्मा
2.उ0नि0 श्री हर्षित मिश्रा
3.आरक्षी कुलदीप द्विवेदी
4.आरक्षी कुलदीप वर्मा
5.हो0गा0 वीरेन्द्र कुमार
6.पीआरडी रमेश प्रसाद

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी रविप्रकाश द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी द्वारा आज दिनाँक 15.02.2025 को थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 35/2016 धारा 279,337,427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त बुद्धराज पुत्र रामसंवारे निवासी रामनगर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2500/- रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(5). आज दिनाँक-15.02.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी कार्यालय, महिला थाना,यातायात कार्यालय एवं अपराध शाखा में हो रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा क्षेत्राधिकारी कार्यालय में पार्टीशन एवं महिला थाना के शौचालय में पानी,लाइट,साफ सफाई, अपराध शाखा व यातायात कार्यालय में हो रहे रंगाई पुताई का निरीक्षण किया गया तथा प्रतिसार निरीक्षक को जल्द से जल्द कार्य पुरा

करने हेतु निर्देशित किया गया तथा कार्यालयों में लगे कुलर,लाइट,पंखा आदि सामानों की मरमस्त हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

निरीक्षण के दौरान प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण,क्षेत्राधिकारी नगर पेशकार श्री गंगाधर दुबे,पीआरओ श्री प्रदीप पाल मौजूद रहें।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अजय कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय सिविल जज (सी0डि0) एफटीसी सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा आज दिनाँक 15.02.2025 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 203/2017 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त इंद्रनारायण पुत्र भिक्खू निवासी शेषापुर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 500/- रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय सिविल जज (सी0डि0)एफटीसी सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा आज दिनाँक 15.02.2025 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 445/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त अतहर सोनकर पुत्र गोविंद निवासी राजापुर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 500/- रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/ब्रिकी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 इंद्रजीत गौतम व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त अजय उर्फ मिन्मी सोनकर पुत्र रामेश्वर सोनकर निवासी छिपटहरी तरौंहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट के कब्जे से 25 क्वार्टर अवैध देशी शराब मस्तीह के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

1.उ0नि0 श्री इंद्रजीत गौतम
2. आरक्षी कुलदीप द्विवेदी
3.आरक्षी इंदल कुमार